ont>

Title: Need to enact a law to provide ownership right to the people settled on forest land particularly in Uttaranchal - Laid.

श्री महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल, उत्तरांचल) अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के बाद अभी तक वन भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग काफी लम्बे समय वन भूमि में कास्त व काबिज हैं तथा नियमित रूप से बिजली-पानी-खेती तथा अन्य व्यवसाय करते आ रहे हैं, उनमें से बहुत से नगर तथा वार्ड आदि बन चुके हैं, परन्तु अभी तक भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से वन भूमि के रूप में है। जबकि ऐसी भूमि में वन अधिनियम 1980 के आने से पहले भी लोग खेती व व्यवसाय करते आ रहे हैं तथा रिहायशी के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। वन भूमि का बंदोबस्त कानून न होने की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसी भूमि में कार्यरत लोगों को आय दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तरांचल के अंदर ज्यादातर भूमि वन के अंतर्गत अंकित की गयी है, जिसकी वजह से उत्तरांचल के बहुत से जिले जैसे नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून, कोटद्वार आदि स्थानों में लोगों को आये दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्व भूमि बंदोबस्त कानून की तरह वन भूमि कानून बनाया जाना पूरे देश में जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है, इससे लोगों को उनके कानूनी हकहकूक प्राप्त हो सकेंगे तथा वन भूमि का भी नियमित रूप से निर्धारण हो सकेगा।